कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: जी.डी.-I/ले.प.I/ आर.ओ./AMC/K-173/2025-26 दिनांक:07.03.2025

निविदा आमंत्रण पत्र

कार्यालय महालेखाकार (ले.प.-1) राजस्थान जयपुर में विभिन्न क्षमताओं की 14 नग आर.ओ. मशीनें स्थापित है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	विवरण	R.O. ब्रांड	क्रय अवधि	क्षमता	मात्रा
1	मीरा बाई निकुंज	Ureka Forbes	28.03.2005	50 लीटर	1
2	कैश ब्रान्च	Aquafresh	13.08.2018	50 लीटर	3
3	कैश ब्रान्च	Wave RO	30.01.2017	50 लीटर	1
4	कैश ब्रान्च	Kent	29.03.2010	50 लीटर	1
5	आई.सी हॉल	Wave RO	30.01.2017	50 लीटर	3
6	सामुदायिक केन्द्र	Wave RO	04.07.2013	25 लीटर	1
7	रिव्यू हॉल (कैंटीन के ऊपर)	Wave RO	04.07.2013	50 लीटर	1
8	गेस्ट हाउस IV-9	Kent RO	07.04.2007	8 लीटर	1
9	गेस्ट हाउस V-13	Kent RO	11.04.2009	8 लीटर	1
10	गेस्ट हाउस V-I	Kent RO	23.03.2018	8 लीटर	1
				Total No.	14

उपरोक्त आर.ओ. मशीनों की वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा (AMC) के लिए संलग्न शर्तों के साथ सिमित निविदाये आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदाये "वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, जी.डी.। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले.प.-1). राजस्थान, जयपुर के नाम संबोधित होनी चाहिये एवं दिनांक 17.03.2025 सांय 3.00 बजे तक प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, इसके पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा । प्राप्त निविदाये दिनांक 18.03.2025 को सायं 03.00 बजे समिति के समक्ष खोली जायेगी। उक्त निविदाये से सम्बन्धित जानकारी कार्यालय की वेबसाइट cag.gov.in/ag1/rajasthan/en पर भी देख सकते है।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
जी.डी.-I
7/03/25

उपरोक्त सारणी में दर्शाये गये आर.ओ. मशीनो के वार्षिक रखरखाव हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए निविदायें निम्नलिखित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है:-

1. निविदा में आर.ओ. मशीन की सर्विस की दरें एवं सम्पूर्ण ब्रांडेड पार्ट्स की दरें (सभी करों सहित) अलग से स्पष्ट रूप से अंकित करें।
2. फर्म को किसी भी खराब आर.ओ. मशीन की लिखित या मौखिक शिकायत मिलने पर कार्यालय के जी.डी. अनुभाग के सम्बन्धित कर्मचारी को साथ लेकर उस खराब आर.ओ. मशीन का निरीक्षण कर उसमें होने वाली मरम्मत, पार्ट्स को बदलने, इत्यादि कार्य का जॉबकार्ड एवं खर्चे का आंकलन कर जी.डी. अनुभाग को प्रस्तुत करना होगा एवं जी.डी. अनुभाग के अनुमोदन के पश्चात ही उक्त खराब आर.ओ. मशीन की मरम्मत, पार्ट्स को बदलने इत्यादि कार्य करना होगा।
3. पुराने पार्ट्स जी.डी. अनुभाग में जमा कराने होगे तथा किये गये कार्य के सम्बन्ध में 07 दिवस के भीतर भुगतान हेतु तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करना होगा।
4. (AMC) का भुगतान तिमाही आधार पर चार किस्तों में किया जावेगा।
5. आर.ओ. मशीन की मरम्मत के दौरान जो भी पार्ट्स बदले जायेंगे वे उसी ब्राण्डेड कम्पनी के होंगे एवं उनकी वारन्टी का उल्लेख भी करना होगा।
6. आर.ओ. मशीन के खराब होने की शिकायत मिलने पर उसी दिन सर्विस इन्जीनियर को मरम्मत करने के लिये भेजना होगा ।
7. यदि आर.ओ. मशीन की मरम्मत हेतु वर्कशॉप ले जाने की आवश्यकता होती है तो कार्यालय के अधिकृत गेटपास प्राप्त करने के उपरान्त ही मशीन या पार्ट्स बाहर ले जाये जा सकते है परन्तु ले जाने के दिनांक से 02 कार्य दिवस के भीतर वापस स्थापित करना होगा।
8. मशीनों की सुरक्षा के लिये फर्म पूर्णतः जिम्मेदार होगी।
9. यदि फर्म को दिये गये समय-सीमा में आर.ओ. मशीन रिपेयर करने में असफल होने पर उसके लिये की गई वैकल्पिक व्यवस्था पर जो भी व्यय होगा, उसकी वसूली फर्म के बिलों से की जा सकती है।
10. संबंधित फर्म की दरें स्वीकृत होने पर कुल संविदा राशि का 10 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में बैंकर्स चैक डिमाण्ड ड्राफ्ट कार्यालय के राजकोष में जमा करवाना होगा। उक्त जमा धरोहर राशि निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद वापस देय होगी।
11. यदि कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है तो उसके लिये कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अर्थात यह फर्म की जिम्मेदारी होगी।
12. यह अनुबन्ध एक वर्ष के लिये किया जा रहा है परन्तु यदि इस अवधि के दौरान फर्म की सेवायें सन्तोषजनक पाई जाती है तो अनुबन्ध को आगे भी बढाया जा सकता है।
13. यदि इस अनुबन्ध की अवधि के दौरान कोई विरोधाभास होता है तो उस परिस्थिति में प्रधान महालेखाकार महोदय का निर्णय अन्तिम होगा और ठेकेदार को मान्य होगा।
14. यदि फर्म अनुबन्ध अवधि के दौरान कार्य करने में असक्षम रहती है या पाई जाती है तो उसके द्वारा जमा करायी गई अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

15.प्रधान महालेखाकार महोदय को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी समय इस अनुबन्ध को बिना कोई कारण बताये 5 दिवस का नोटिस देकर समाप्त कर सकते है।

16.अनुबंधित फर्म को दर्शाई गई आर.ओ. मशीनों की प्रत्येक माह जांच की जाएगी व पानी की गुणवत्ता (TDS) रिपोर्ट प्रस्तुत क्रेनी होगी।

इस सम्बन्ध में अपनी दरें/निविदायें बन्द लिफाफे में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 17.03.2025 तक सायं 03.00 बजे तक प्रस्तुत करनी होगी। उक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
जी.डी.-I

Rates to be filled by Firms

R.O. litres/ Companies	8 litres	25 litres	50 litres
Kent (Annual Maintenance Charges) Per unit			
Ureka Forbes (Annual Maintenance Charges) Per unit			
Wave (Annual Maintenance Charges) Per unit			

Parts Name	Kent 8 litres	Kent 25 litres	Kent 50 litres	Ureka Forbes 8 litres	Ureka Forbes 25 litres	Ureka Forbes 50 litres	Wave 8 litres	Wave 25 litres	Wave 50 litres